

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक-मु0 अ0-4(मु0)रा0यो0-03-223/2019 - 2203

/पटना, दिनांक-23/6/20

संजय दूबे, भा0प्र0रो0
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषय:- योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष के अन्तर्गत राज्य मधुबनी जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, फुलपरास के क्षेत्राधीन लौकही प्रखंड के क्षेत्राधीन नरेन्द्रपुर चौक से लेकर काली स्थान साव दलित टोला तक पथ निर्माण जिसकी लम्बाई 6.164 कि०मी० निर्माण हेतु रू० 535.1 लाख एवं अनुरक्षण की राशि रू० 55.21 लाख अर्थात् कुल 590.85 लाख रुपये (पाँच करोड़ नब्बे लाख पचासी हजार रुपये) की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

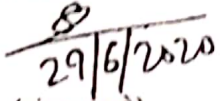
निदेशानुसार योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-उप शीर्ष-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उप शीर्ष अन्तर्गत राज्य के मधुबनी जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, फुलपरास के क्षेत्राधीन लौकही प्रखंड के क्षेत्राधीन नरेन्द्रपुर चौ से लेकर काली स्थान साव दलित टोला तक पथ निर्माण जिसकी लम्बाई 6.164 कि०मी० निर्माण हेतु रू० 535.1 लाख एवं अनुरक्षण की राशि रू० 55.21 लाख अर्थात् कुल 590.85 लाख रुपये (पाँच करोड़ नब्बे लाख पचासी हजार रुपये) की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

1. इस योजना को दो वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
2. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, फुलपरास द्वारा इस योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।
3. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायगी।
4. इस योजना का व्यय योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष जिसका विपत्र कोड 37-4515001030105 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
5. योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में 300.00 करोड़ रुपये का बजट उपबंध स्वीकृत है।
6. संबंधित कार्यपालक अभियंता, द्वारा योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के पाँच तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल दरभंगा एवं मुख्य अभियंता-3 के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।
7. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, फुलपरास यह सुनिश्चित करेंगे कि यह योजना किसी अन्य योजना शीर्ष अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है।
8. इस योजना का चयन मा० मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, द्वारा संचिका संख्या- मु0 अ0-4(मु0)नाबार्ड-03-174/2014 पार्ट-II के पृ० सं०-49/टि० पर दिनांक-23.01.2019 को किया गया है।
9. विभागीय स्थायी वित्त समिति द्वारा संचिका संख्या-मु0 अ0-4 (मु0)रा0यो0-03-223/2019 के पृ० सं०-10-11/प० पर दिनांक-15.05.2020 को इस योजना की स्वीकृति प्राप्त है।
10. इस योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संचिका सं०- मु0 अ0-4 (मु0)रा0यो0-03-223/2019 के पृ० सं०-07/टि० पर दिनांक-22.06.2020 को प्राप्त है।

29/6/2020

11. ब्राड्रा के निर्धारित प्राक्धान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्राक्धान के अंतर्गत राशि की निकासी की जाएगी।
12. कार्यपालक अभियंता (PIU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित करा कर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्राक्धानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि के निकाली एवं व्ययन करेंगे।
13. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3758 दिनांक-31.05.2017 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जाएगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्राक्धानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाएगी।
14. यह आदेश आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०- मु० अ०-4(मु०)रा०यो०-03-223/2019 के पृष्ठ संख्या- 11 / टि० पर दिनांक- 25.6.20 को प्राप्त है।
15. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
16. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाएगा।
17. योजना के कार्यान्वयन के कम में इनका निर्धारित निरीक्षण सरकार से निर्गत आदेशों में प्राक्धानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया जाएगा एवं कार्यों को ससमय तथा गुणवत्तापूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में सभी निरीक्षी प्राधिकार भी उत्तरदायी माने जाएंगे।

विश्वासभाजन



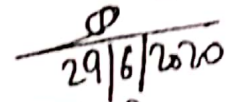
(संजय दूबे)

अपर सचिव

ज्ञापांक- मु० अ०-4 (मु०)रा०यो०-03-223/2019 - 2233

प्रतिलिपि- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

/पटना, दिनांक-29/6/2020

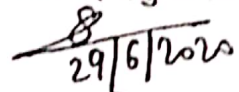


अपर सचिव

ज्ञापांक- मु० अ०-4 (मु०)रा०यो०-03-223/2019 - 2233

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

/पटना, दिनांक-29/6/2020

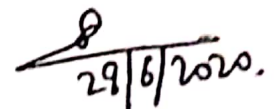


अपर सचिव

ज्ञापांक- मु० अ०-4 (मु०)रा०यो०-03-223/2019

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, प्रमण्डलीय आयुक्त, दरभंगा/जिला पदाधिकारी, दरभंगा/उप विकास आयुक्त, दरभंगा/अभियंता प्रमुख सह-सचिव, BRRDA, ग्रा० का० वि०, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता-3, पटना, ग्रामीण कार्य विभाग/मु० अ०-4 (मुख्यालय), ग्रा० का० वि०/अधीक्षण अभियंता, ग्रा० का० वि०, कार्य अंचल, दरभंगा/कार्यपालक अभियंता, ग्रा० का० वि० कार्य प्रमंडल, फुलपरास/मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड, बिहार क्षेत्रीय कार्यालय, (मौर्या कम्पलेक्स, पॉचवी मंजिल) डाक बंगला रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई०टी० नोडल, ग्रामीण कार्य विभाग को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित। एम०आई०एस० नोडल, ग्रामीण कार्य विभाग को स्टेट एम०आई०एस० में प्रविष्टि हेतु प्रेषित।



अपर सचिव

